तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज **<u>अपील 18/2012 सरकार बनाम भागीरथ पुत्र श्रीचंद</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13.12.2017	एपीपी उपस्थित। गैर सायल उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोन किया गया। पत्रावली वर्तमान में गैर सायल की तलबी एवं शेष रहे साक्ष्य के अभाव में विचाराधीन है। गैर सायल को तलब किये जाने हेतु न्यायालय हाजा से जारी किया गया जमानती वारन्ट क्रमांक संख्या 214 दिनांक 18.3.2016 अदम तामील प्राप्त हुआ । जिसकी पुस्त पर सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि ''..... भागीरथ पुत्र श्रीचंद जाति जाटव निवासी नगला केसरिया जो मन्दबुद्धी का व्यक्ति है पागलों जैसी हरकत करता है घर से ज्यादातर बाहर रहता है पता नहीं कहां घूमता फिरता है कभी कभी घर पर आता है व गांव में दिखाई देता है.....।'' इसी वारन्ट पर तामील कुनिन्दा समहंस (1872) की रिपोर्ट दिनांक 24.4.2016 भी अंकित है उनके द्वारा अंकित किया है कि ''..... गिरफ्तारी वारन्ट की तामील हेतु गांव नगला केसरिया पहूंचा जहां पर भागीरथ अपने घर पर मौजूद नहीं मिला जिसे गाव में काफी तलाश किया तो गांव वालों ने अवगत कराया कि भागीरथ मन्द बुद्धी है जो ज्यादातर घर से बाहर रहता है जिसका कोई निश्चित पता नहीं है कभी घर पर आता है कभी घर से चला जाता है। ऐसी सूरत में वारन्ट की तामील नहीं कराई जा सकी । अदम तामील वारन्ट सेवा में पेश है.....।'' इसी क्रम में गैर सायल के पिता श्रीचंद ने भी प्रार्थना पत्र दिनांक 4.5.2016 प्रस्तुत करते हुये गैर सायल की स्थिति को देखते हुये उसके खिलाफ विचाराधीन गुण्डाएक्ट की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया था । इसके अलावा थानाधिकारी चिकसाना की ओर से प्राप्त वर्तमान रिपोर्ट क्रमांक 6127 दिनांक 14.11.2017 में भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुये स्पष्ट किया है कि वर्ष 2011 के बाद इसके खिलाफ थाना हाजा पर कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। गैर सायल की वहालत मौजूदा स्थिति के मध्यनजर इस प्रकरण को हमारी विनम्र राय में अब आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। लिहाजा प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। संबधित एस0एच0ओ0 को हिदायत दी जाती है कि यदि गैर सायल पुनः किसी आपराधिक प्रवृत्ति की पुनरावृति करता पाया जाता है तो वह नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र रहते है। निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया। **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **भरतपुर**	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official